पत्रांक-अ0पा0-34/2010- 751

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

भानु प्रताप शर्मा,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 20.8.2010

विषय :- सहायक अनुदान हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के संबंध में ।

महाशय,

महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन विभागों से सहायक अनुदान के स्वीकृत्यादेश प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति का अनुश्रवण करने में कठिनाई हो रही है । महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह कहा गया है कि वित्त विभाग के पत्र संख्या-7305 दिनांक 05.10.07 के निर्गत होने के पूर्व सहायक अनुदान के स्वीकृत्यादेश के सभी मामलों में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होती थी और प्राधिकार पत्र निर्गत करते वक्त स्वीकृत अनुदानों की सूची उनके द्वारा तैयार कर ली जाती थी, जिसके आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति का अनुश्रवण किया जाता था । किन्तु वित्त विभाग के उपर्युक्त आदेश के निर्गत होने के पश्चात कठिनाई उत्पन्न हो रही है । महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह भी कहा गया है कि वित्त लेखे, जिसे प्रत्येक वर्ष विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, में सहायक अनुदान की स्थिति स्पष्ट की जाती है और उसकी सूचना प्राप्त नहीं रहने के कारण उन्हें वित्त लेखे की कार्रवाई में कठिनाई हो रही है ।

उपर्युक्त समस्या के निदान हेतु महालेखाकार से विमर्श हुआ है और विमर्शोपरान्त निम्नलिखित के अनुसार भविष्य में कार्रवाई किया जाना है :-

(i) सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में जो स्वीकृत्यादेश निर्गत हो उसकी विभागों में एक अलग पंजी संधारित होनी चाहिए । प्रत्येक विभाग में सहायक अनुदान से संबंधित स्वीकृत्यादेश अलग-अलग प्रशाखाओं से निर्गत नहीं होकर विभागों में एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत हो तथा इन स्वीकृत्यादेश का उल्लेख उपर्युक्त पंजी में कर दिया जाय । स्वीकृत किये जा रहे अनुदानों के

लिए स्वीकृत्यादेश की संख्या एक लगातार होना चाहिए अर्थात् एक झलक में यह पता चल जाय कि वित्तीय वर्ष में उस विभाग के द्वारा उस तिथि के पूर्व सहायक अनुदान के कितने स्वीकृत्यादेश निर्गत हुये है । ऐसी व्यवस्था रखने से यदि कोई स्वीकृत्यादेश महालेखाकार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो वे इसकी जानकारी विभागों से प्राप्त कर उसकी प्रति प्राप्त कर सकेंगे ।

प्रत्येक विभाग द्वारा एक वित्तीय वर्ष में सहायक अनुदान मद में निर्गत स्वीकृत्यादेश को क्रम संख्यानुसार सूत्रबद्ध किया जाएगा ।उदाहरण स्वरूप यदि वर्ष 2010-11 में वित्त विभाग द्वारा सहायक अनुदान मद में स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाता है, तो इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है ।

2010-11/वित्त/12/अ0पा0 146/2010/01/372- दिनांक 20.08.2010.

इसमें 2010-11 वित्तीय वर्ष है, वित्त- विभाग को, 12-मांग संख्या को, अ0पा0146-2010-संचिका संख्या को, 01-सहायक अनुदान की क्रम संख्या को, 372-निर्गमित संख्या को दर्शाता है ।

(ii) सहायक अनुदान से संबंधित कई स्वीकृत्यादेश में देखा जा रहा है कि उसमें जिस संस्था/व्यक्ति को सहायक अनुदान दिया जा रहा है उसका पूरा नाम और पता अंकित नहीं रहता है तथा यह भी अंकित नहीं रहता है कि यह अनुदान किस उद्देश्य से दी जा रही है । अगर उसी संस्था/व्यक्ति को पूर्व में अनुदान की स्वीकृति की गयी है तो तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र जब महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाय, इसका उल्लेख कई बार सम्बद्ध स्वीकृत्यादेश में नहीं रहता है । भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाय कि जिस संस्था/व्यक्ति को सहायक अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है उनका पूर्ण विवरण स्वीकृत्यादेश में हो तथा पूर्व के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध होने का विवरण भी स्वीकृत्यादेश में निश्चित रूप से रहे ।

विश्वासभाजन

(भानु प्रताप शर्मा)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक- अ0पा0-34/2010- 754 /वि0, पटना, दिनांक- 20.08.10

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 हक0)/प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भानु प्रताप शर्मा)
प्रधान सचिव ।

FORM OF UTILIZATION CERTIFICATE

1.Certified that out of Rs..................... of Grants-in aid sanctioned during the year...............in favour of ....under this Ministry/ Department letter no.given in the table below , and Rs.............. on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs...................has been utilized for the purpose for which it was sanctioned and that the balance of Rs.....................remained unutilized at the end of the year.............has been surrendered to the Govt. vide letter No...............dated...................../will be adjusted towards the grants-in aid payable during the next financial year.......

2.Certified that I have satisfied myself that the conditions, on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually spent for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised.

i. ....
ii. ....
iii. ....
iv. ....

3. Particulars of Grants-in-aid:

Sl. No.	Sanction letter No. and date	Name of the grantee	Purpose of the grant.	Amount of grants drawn	T.V. No. & date of drawal	Amount Utilized	Balance	Amount Surrendered (with letter no. & date
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature & Designation of the competent authority of the department sanctioning Grants-in-aid

Date: